UTTAR PRADESH POLICE
उत्तर प्रदेश पुलिस

@Shajahanpurpol

प्रेस नोटः

थाना मिर्जापुर पुलिस की बडी कार्यवाही, माल मुकदमाती वर्ष 2020 से मई 2022 तक बरामद अवैध शराब कुल 2595 लीटर का किया गया विनिष्टीकरण ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे समस्त थानो पर लम्बित माल मुकदमाती मालो के निस्तारण के सम्बन्ध मे प्रचलित अभियान के क्रम मे श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण एंव श्री मस्सा सिंह, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निर्देशन मे थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा की गयी बडी कार्यवाही।

थाना मिर्जापुर पर वर्ष 2020 से मई 2022 तक बरामद कुल 260 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अवैध कच्ची शराब, देशी शऱाब व शराब बनाने के उपकरण जिनमें क्रमशः वर्ष 2020 के धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 68 अभियोग व धारा 60(2)(भट्टी) आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 26 अभियोग व वर्ष 2021 के धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 85 अभियोग व धारा 60(2)(भट्टी) से सम्बन्धित 19 अभियोग व वर्ष 2022 के धारा 60 आवकारी अधिनियम से सम्बन्धित 56 अभियोग व धारा 60(2) (भट्टी) से सम्बन्धित 6 अभियोगो मे बरामद कच्ची शराब , देशी मसालेदार शराब कुल 2595 लीटर अवैध शराब का विनिष्टीकरण नियमानुसार किया गया । उपरोक्त सभी अभियोगो में बाद तनकी परीक्षण आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है जिसके सम्बन्ध मे नियमानुसार उपरोक्त अभियोगो से सम्बन्धित अवैध शराब थाना मालखाने में रखी होने के कारण थाना परिसर में दुर्गन्ध आ रही थी तथा उसमें गैस बनने से वातावरण प्रदूषित हो रहा था तथा संक्रमण फैलने की आशंका के दृष्टिगत मालो के नियमानुसार विनिष्टीकरण हेतु प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर द्वारा मा0 न्यायालय एसीजेएम द्वितीय जनपद शाहजहाँपुर को रिपोर्ट प्रेषित की गयी जिसके अनुक्रम में मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 द्वितीय कक्ष सं0 17 जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.11.2022 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था स्पेशल रिट पिटीशन संख्या 2745/ 2020 सुन्दर भाई अम्बालाल देशाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात राज्य 2020 (10)ए0सी0सी0-283 में पारित निर्णय के अनुक्रम में प्रापर्टी निस्तारण के सम्बन्ध में द0प्र0 सं0 की धारा 451/457 के अन्तर्गत दिशा निर्देशों जिनमें आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मालों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उनका निस्तारण किये जाने का प्रावधान है । सम्बन्धित आदेश प्राप्त होने पर उक्त आदेश के

अनुक्रम में नियमानुसार थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर पर वर्ष 2020 से मई 2022 तक बरामद धारा 60 आवकारी अधिनियम से सम्बन्धित कुल 209 व धारा 60(2) आवकारी अधिनियम से सम्बन्धित कुल 51 अभियोगो में बरामद कच्ची शराब , देशी मसालेदार शराब , कुल 2595 लीटर शराब व शराब बनाने के उपकरणो का विनिष्टीकरण करने हेतु कमेटी गठित की गयी थी जिसमे 1. श्रीमान क्षेत्राधिकारी जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर 2. आबकारी निरीक्षक / आवकारी अधिकारी कलान जनपद शाहजहाँपुर 3. प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर 4. प्रधान लेखक थाना मिर्जापुर की मौजूदगी मे उपरोक्त बरामद माल का नियमानुसार विनिष्टीकरण करने हेतु आदेश प्राप्त हुआ।

श्रीमान जी आज दिनांक 16.11.2022 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 द्वितीय कक्ष सं0 17 जनपद शाहजहाँपुर के उक्त मालो के विनिष्टीकरण आदेश के अनुपालन मे 1. श्रीमान क्षेत्राधिकारी जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर 2. जिला आबकारी अधिकारी / आवकारी निरीक्षक कलान जनपद शाहजहाँपुर 3. प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर 4. प्रधान लेखक थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर की मौजूदगी मे बरामद शुदा माल मे प्रत्येक ब्राण्ड के एक - एक सैम्पल सुरक्षित रखते हुये उपरोक्त समस्त मालो का नियमानुसार जेसीबी से थाना परिसर के खाली पडे फील्ड में गड्डा खुदवाकर व बरामदा उपकरणो को जेसीबी से क्रश कराकर विनिष्टीकरण किया गया तथा उपरोक्त मालो की विनिष्टीकरण की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करायी गयी। अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय प्रेषित की जायेगी । जिसका तस्करा थाना मिर्जापुर पर रो0आम रपट संख्या 31 समय 15.11 बजे दिनांक 16.11.2022 पर दर्ज किया गया है।

<u>विनिष्टीकरण किये गये माल का विवरणः-</u>

1. देशी कच्ची शराब कुल 2591 लीटर
2. देशी मसालेदार शराब 20 क्वार्टर कुल 4 लीटर
3. शराब बनाने के कुल 51 अभियोगो से सम्बन्धित उपकरण

<u>माल विनिष्टीकरण के समय मौजूद गठित कमेटी के सदस्यो का विवरणः-</u>

1. श्रीमान क्षेत्राधिकारी जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
2. आबकारी निरीक्षक / आवकारी अधिकारी कलान/ मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
3. प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
4. प्रधान लेखक थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
5. समस्त उपस्थित स्टाफ थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर